भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 09B/2020–21

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

गयामनी देवी ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

प्रफुल्ल कुमार महतो..............................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
18-8-2020		

विक्रेता :– गयामनी देवी पति स्व0 मनोहर महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड),जाति–कुर्मी।

क्रेता :– प्रफुल्ल कुमार महतो पिता श्री सुधीर महतो, ग्राम–सरमाली, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 18.06.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता प्रफुल्ल कुमार महतो पिता श्री सुधीर महतो, ग्राम–सरमाली, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: <u>भूमि का विवरण</u> ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
छोटा गम्हरिया	गम्हरिया / 67	93	1014 / अं0	2.46डि0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 477 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा जाँच एवं सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के ससुर एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है तथा ससुर के मृत्यु उपरांत उनके पति मनोहर महतो एवं उनके भाईयों के नाम से आपसी बंटवारा के आधार पर नामांतरण होकर पंजी–II में दर्ज़ है।
2. बिक्रेता अपने पति के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.38.04 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु आवेदित भूमि बिक्री करना चाहती है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है ...

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता गयामनी देवी पति स्व0 मनोहर महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता प्रफुल्ल कुमार महतो पिता श्री सुधीर महतो, ग्राम–सरमाली, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–2.46डि0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

18/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।